न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प सीहोर

रिवीजन कमांक 37 11-II/15

राम जीवन आत्मज श्री कोदाजी
आयु वयस्क जाति जाट
निवासी ग्राम नयाखेडी कृषक ग्राम
करणपुरा तहसील इच्छावर
जिला सीहोर म0प्र0 ———————— रिवीजनकर्ता

विरूध

1— हरिनारायण आ0 मानाजी उम्र 55 वर्ष
जाति सूतार कृषक ग्राम करणपुरा तहसील इछावर
जिला सीहोर
हाल निवास बैरागड तहसील व जिला देवास
2— अवंतीबाई बेवा लालजी आयु वयस्क जाति चमार
3— बलदेव आ0 लालजी आयु वयसक जाति चमार
4— लक्ष्मीबाई बेवा लालजी आयु वयस्क जाति चमार
सभी निवासी एवं कृषक ग्राम करणपुरा तहसील इछावर
जिला सीहोर म0प्र0 ————————

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

रेस्पाण्डेंटगण

रिवीजन अंतर्गत धारा—50 म0प्र0भू—राजस्व संहिता

रिवीजनकर्ता माननीय तहसीलदार महोदय तहसील इछावर जिला सीहोर द्वारा सीमाकंन प्रकरण कमांक 103/ए—12/14—15 मे पारित आदेश दिनांक 24—06—2015 से दुखित होकर यह वर्तमान रिवीजन माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत करता है ।

रिवीजन के तथ्य

1— यह कि रेस्पाडेंट नंबर—1 हरिनारायण द्वारा भूमि खसरा नंबर 16/2, 116/1 कुल दो किता कुल रकबा 1.618 हेक्टयर स्थित ग्राम करणपुरा तह0 इछावर जिला सीहोर की भूमि के सीमाकंन हेतु दिनांक 2 जून 2015 को लिखित आवेदन पत्र तहसीलदार इछावर को प्रस्तुत किया गया था जिस पर दिनांक 15—06—15 को सीमाकंन कार्यवाही किया जाना दर्शाया गया है ।

2— यह कि सीमांकन मे खसरा कमांक 116/1 एकबा 0.809 हेक्टयर सम्पूर्ण पर रिवीजनकर्ता रामजीवन का अनाधिकृत कब्जा बताया गया है तथा अन्य खसरा नंबरो पर रेस्पाण्डेंट 2 से 4 का अनाधिकृत कब्जा बताया गया है ।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 391/-PBR/15 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2/12/15	मेरे द्वारा प्रकरण में ग्राह्यता एवं स्थगन आवेदन पर निगराकार के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए एवं उपलब्ध अभिलेखों, छायाप्रतियों आदि का बारीकी से अध्ययन किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अनावेदक क्र. 1 हरिनारायण द्वारा वाद भूमि का सीमांकन उनको (निगराकार को) सूचना दिये/दिलाए बगैर करवा लिया गया और स.न. 116/1 में उनका अनाधिकृत कब्जा अभिलिखित करवा लिया। इसकी जानकारी उन्हें तब मिली जब उन्हें धारा 250 के अधीन कार्यवाही का नोटिस दि. 7-9-15 मिला, जिसके बाद उन्होंने तहसीलदार इछावर के प्र.क्र. 103/A-12/14-15 में पारित आक्षेपित सीमांकन आदेश दि. 24-6-15 की प्रति प्राप्त कर 60 दिवस से कम में यह निगरानी प्रस्तुत की। उन्होंने निगरानी ग्राह्य कर स्थगन हेतु निवेदन किया। प्रकरण में अध्ययन एवं विचार के उपरान्त मैं यह पाता हूँ कि निगराकार रामजीवन को सीमांकन की सूचना नहीं दी गई थी, सूचना पत्र दि. 11.6.15 में ना तो उनका नाम लिखा था और ना ही	

[क्र. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उनके हस्ताक्षर थे। पंचनामे आदि में भी कहीं भी उनके हस्ताक्षर नहीं थे। फिर भी उनके विरुद्ध अनाधिकृत कब्जा अभिलिखित किया गया है। स्पष्टतः, पक्ष समर्थन का कोई भी अवसर दिए बगैर उनके विरुद्ध अनाधिकृत कब्जे का उल्लेख करते हुए सीमांकन आदेश पारित कर धारा 250 की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है, जो कि विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।	
	अतः मैं तहसीलदार, इछावर के प्र.क्र. 103/A12/14-15 में पारित आदेश दि. 24-6-15, एवं उसके आधार पर जारी धारा 250 का नोटिस दि. 7.9.15 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।	
	साथ ही तहसीलदार इछावर को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय का प्र. क्र. 103/A12/14-15 पुनः खोलें तथा समस्त सरहद्दी कृषकों एवं हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत नोटिस एवं पक्ष समर्थन का अवसर आदि बाकायदा देते हुए, नए सिरे से फील्ड एवं न्यायालय की कार्यवाही, विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, इस आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम 2 माह के भीतर, पूर्ण करते हुए, बोलता हुआ नया आदेश पारित करें।	
	प्रकरण समाप्त। पक्षकार सूचित हों। दा.द.हो।	
	(हस्ताक्षर) सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.